

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 36/18

तारीख रजू- 16/03/2018

किशनलाल पुत्र मोती गुर्जर, जाति गुर्जर, नि० दोनायचा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
—अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूंगर।

—रेस्पोंडेंटस

निर्णय

दिनांक- 20.8.18

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 477/16 में पारित निर्णय दिनांक 30/01/17 विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा के आराजी खसरा नं० 1593 रकबा 0.10 है० किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुना गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रुयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलार्थीन निर्णय पारित किया है जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मोक़े का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त का पश्चावर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त का उक्त वाद-आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्त का उक्त वाद-आराजीयात पर पूर्व में कोई अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त द्वारा बार-बार चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशंसा भी की है। साथ ही पटवारी हल्का के बयान भी संलग्न है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काशत कर कब्जा किया हुआ है, यदि अपीलान्ट की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने को बढ़ावा मिलेगा जो कि पेटोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है। मैं पेटोकार सरकार की बहस से सहमत हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/01/17 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर